संख्या- 333/2025-704-41-1-2025-114(बजट)/2020

प्रेषक,

संजीव कुमार श्रीवास्तव,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0 लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 29 मार्च, 2025

विषयः- मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजनान्तर्गत जनपद जालौन में पूर्ण कराये गये 03 नग कार्यों की अवशेष जी०एस०टी० धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-122849/मु०सं०प०सं०यो०/जालौनसीएन-15471, दिनांक 04 मार्च, 2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना के अन्तर्गत जनपद जालौन में पूर्ण कराये गये 03 नग कार्यों की अवशेष जी०एस०टी० धनराशि अवमुक्त किये का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि जनपद जालौन के 03 विधान सभा क्षेत्रों का पर्यटन विकास से संबंधित योजना हेतु उ०प्र० स्टेट कान्स्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेंट कारपोरेशन लि० को कार्यदायी संस्था नामित करते हुए शासनादेश संख्या-38/2021/4614/41-2020-114-बजट/2020 दिनांक 21.01.2021 द्वारा प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा प्रथम किश्त के रूप में धनराशि निर्गत की गयी है और शासनादेश संख्या-461/2021/2722/41-2021-114-बजट/2020 दिनांक 23.09.2021 द्वारा द्वितीय किश्त शासनादेश संख्या-732/2021/4661/41-2021-317-बजट/2021 दिनांक 22.12.2021 द्वारा तृतीय किश्त एवं शासनादेश दिनांक 31.03.2022 द्वारा चतुर्थ किश्त निर्गत की गयी है, जिसका विवरण निम्नवत है:-

धनराशि रू० लाख में

क्र0सं0	परियोजना का नाम	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	प्रथम किश्त	द्वितीय किश्त	तृतीय किश्त	चतुर्थ किश्त	कुल अवमु क्त	निविदा लागत
)1(	)2(	)3(	)4(	)5(	)6(	)7(	)8(	)9(
1	विधान सभा उरई के ग्राम सैदनगर, ब्लाकडकोर में - बेतवा नदी के किनारे माँ रक्तदंतिका देवी मंदिर का सुदृढ़ीकरण एवं पर्यटन कार्य	50. लाख 42 ०टी ०एस०जी) (सहित	25.00	12.50	8.89	9.79	48.19	38.40
2	विधान सभा माधौगढ़ के ग्राम जालौन खुर्द में जालौन देवी माता मंदिर का सौन्दर्गीकरण एवं	50. लाख 42 ०टी ०एस०जी) (सहित	25.00	12.50	0.87	9.79	48.17	38.38

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

	पर्यटन विकास कार्य							
3	विधान सभा कालपी के ग्राम मदरा लालपुर में सूर्य मंदिर का सौन्दर्गीकरण	50. लाख 42 ०टी ०एस०जी) (सहित	25. 00	12.50	0.87	9.79	48.18	38.38

3-इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्राधाओं पर निसार अमिति के मेंट की धनराशि ०2.27 लाख (दो लाख राइस हजार को अवयुका किये जाने की निम्नलिखित उप सचिव पर्यटन विभाग शासन।

(धनराशि रू० लाख में)

क्र0सं0	परियोजना का नाम	
1	विधान सभा उरई के धाम रोदनगर बताकर में बेतवा नदी के किनारे मी रकत्वंतिका देवी)2मंदिर (का सुरद्दीकरण एवं पर्यटन कार्य	0.76
2	विधान सभा माधौगढ़ के ग्राम जालौन खुर्द में जालौन देवी माता मंदिर का सौन्दर्थीकरण एवं पर्यटन विकास कार्य	0.76
3	विधान सभा कालपी के ग्राम मदरा तालपुर में सूर्य मंदिर का सौन्दर्गीकरण एवं पर्यटन विकास कार्य	0.75
	कुल योग	2.27

(1) परियोजना हेतु पर्यटन अनुभाग के शासनादेश संख्या-38/2021/4614/41-2020-114-बजट/2020 दिनाक 21.01.2021. शासनादेश संख्या-461/2021/2722/41-2021-114-बजट/2020 दिनांक 23.09.2021, शासनादेश संख्या-732/2021/4661/41-2021-317-बजट/2021 दिनांक 22.12.2021 तथा शासनादेश दिनांक 31.03.2022 में उल्लिखित शर्तों/प्रतिबंधों का अनुपालन किया जायेगा।

(2) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-1/2024/बी-1-294/दस 2024-231/2024, दिनांक 04.03.2024 में निहित शर्तों एवं प्रावधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) प्रश्नगत परियोजना के निर्माण कार्य में वस्तु एवं सेवाकर (जी०एस०टी०) की धनराशि कार्यदायी संस्था को वास्तविक भुगतान के अनुसार नियमानुसार अनुमन्य होगी तथा इस सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था द्वारा सक्षम स्तर से अनुमोदित जी०एस०टी० भुगतान के सम्बन्ध में प्रामाणिक प्रपत्र महानिदेशक, पर्यटन के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त लेबर सेस के रूप में प्रदान की गयी धनराशि श्रम विभाग को भुगतान किये जाने का प्रमाण पत्र कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ उपलब्ध कराया जायेगा।

(5) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर कार्यदायी संस्था द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों का पर्यवेक्षण (मानीटरिंग) महानिदेशक, पर्यटन द्वारा सुनिश्चित कराया जाय। स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार प्रपागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) प्रश्नगत परियोजना में होने वाले निर्माण कार्य के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि निर्माण कार्य आगणन के अनुरूप उसके तकनीकी अनुमोदन के अनुसार किया गया है तथा परियोजना को

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

कार्यदायी संस्था से हस्तगत कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण कर लिया जायेगा एवं निर्मित परिसम्पत्ति का समुचित रख-रखाव सुनिश्चित किया जायेगा एवं इसकी अद्यतन प्रगति रिपोर्ट ई-परियोजनाओं की समीक्षा के पोर्टल पर अंकित कराते हुए शासन को अवगत कराया जायेगा।

(7) प्रश्नगत परियोजना में टाइम ओवर-रन/कास्ट ओवर रन को नियन्त्रित करने के सम्बन्ध में वित्त (आप-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-07/2017/बी-1-823/दस-2017-एम-04/2017 दिनांक 21 जून, 2017 में दिये गये निर्देशों तथा बजट मैनुअल के प्रस्तर -212 (VII) में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया गया।

(8) प्रश्नगत परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी सोशल आडिट से सम्बन्धित स्थानों का भी पूर्णतया अनुमानित किया कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यसंस्था की होगी।

(9) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तंकित स्वीकृत योजन गयी हो। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस योजना की द्विराकृति/पुनरावृति न हो और इसके रख रखाव हेतु राज्य सरकार के ऊपर से कार्य की समाप्ति के पश्चात सम्प्रेक्षित लेखे अनिवार्य रूप से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(10) अवमुक्त की जा रही पंचम किश्त की धनराशि का आहरण एवं जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते आदि में नहीं रखा जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धनपर जि अर्जित किया गया है तो उसे अनिवार्य रूप से राजकोष में जमा कराना सुनिशित किया गया। यह भी अनिवार्य से सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि आगणन में बाट आउट एवं प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्यों पर सेन्टेज का भुगतान अनुमन्य न किया जाय। इसका अनुपालन पर्यटन निदेशालय एवं कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिद्धित किया जायेगा।

(11) प्रश्नगत परियोजनाओं में अवमुक्त की जा रही धनराशि की स्वीकृति कार्यदायी संस्था एवं पर्यटन निदेशालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना/विवरण के आधार पर प्रदान की जा रही है। पदि परियोजना के मानक के सम्बन्ध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था एवं पर्यटन निदेशालय एवं क्षेत्रीय अधिकारियों का होगा। प्रश्नगत परियोजना हेतु अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष वास्तविक रूप से व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र/कार्य की गुणवला एवं फोटोग्राफ्स प्रतिहस्ताक्षरित कराये हुये (लिपि सहित) सक्षम स्तर से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(12) महानिदेशक, पर्यटन, उ०प्र० द्वारा कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कार्यदायी संस्था से सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त किये जायेंगे।

(13) सोलर लाइट/सौर ऊर्जा से सम्बन्धित लाइटों/उपकरणों का क्रय उ०प्र० नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (UPNEDA) से नियमानुसार क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(14) परियोजना के कार्य पूर्ण होने के उपरान्त परियोजना की क्लोजर रिपोर्ट एक पक्ष के भीतर उपलब्ध करायी जायेगी। परियोजना की क्लोजर रिपोर्ट उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में उक्त कृत्य को अनियमितता मानते हुए सम्बन्धित परियोजना प्रबन्धक/अपर परियोजना प्रबन्धक एवं ठेकेदार के विरूद्ध नियमानुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ०आई०आर०) दर्ज कराने की कार्यवाही पर्यटन निदेशालय/सम्बन्धित क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी/उपनिदेशक, पर्यटन द्वारा की जायेगी।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रू0 2.27 लाख (रू० दो लाख सत्ताइस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 044 लेखा शीर्षक 5452801040800 मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों का विकास मानक मद 24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-2/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04.03.2014 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्राविधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-
1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. निजी सचिव, मा० मंत्री, पर्यटन विभाग, उ०प्र० शासन ।
4. जिलाधिकारी, जातौन ।
5. अपर आयुक्त (ग्रेड-1), वाणिज्य कर, झांसी मण्डल झांसी ।
6. निदेशक, पर्यटन, पर्यटन निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ ।
7. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० स्टेट कान्स्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्बर डेवलेपमेंट कारपोरेशन लि०।
9. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
10. क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी (राज्य योजना) पर्यटन निदेशालय, लखनऊः ।
11. क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी, झांसी मण्डल झांसी।
12. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
13. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।